न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर–प्रथम, जयपुर

पंचायत निगरानी संख्याः 46 / 2022 GCMS No.—2022/147

राजस्थान आवासन मण्डल जरिये आवासीय अभियंता खण्ड तृतीय पता हल्दीघाटी मार्ग, हल्दी घाटी गेट के पास, सेक्टर–8, प्रताप नगर, जयपुर।

...निगरानीकर्ता

बनाम

1. तीजा पत्नी आनन्दा मीना, जाति मीणा, निवासी ग्राम दहलावास, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।
2. जयपुर नगर निगम जरिये उपायुक्त, पता नगर निगम सांगानेर जोन, सांगानेर बस स्टेण्ड के पास, जयपुर।

...गैर निगरानीकार

निगरानी अर्न्तगत धारा 97 पंचायती राज अधिनियम 1994

उपस्थितः–

1. श्री भागचन्द भारद्वाज अधिवक्ता निगरानीकार की ओर से।
2. श्री राजेश कुमार गुर्जर अधिवक्ता गैर निगरानीकार संख्या 2 की ओर से।

न्यायालय अतिरिक्त कलक्टर (प्रथम) सत्यमेव जयते * जयपुर *

निर्णय दिनांकः 19.07.2024

निगरानीकर्ता ने यह निगरानी ग्राम पंचायत श्रीराम की नांगल, पंचायत समिति सांगानेर द्वारा गैर निगरानीकार संख्या 1 तीजा पत्नी आनन्दा मीना, जाति मीणा, निवासी ग्राम दहलावास, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर के पक्ष में मिसल संख्या 88 पर पारित आदेश दिनांक 21.09.1987 द्वारा पट्टा संख्या 41 जारी किया गया, से असंतुष्ट होकर दिनांक 24.08.2022 को इस न्यायालय में प्रस्तुत की है। निगरानी प्रस्तुत होने पर पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर नोटिस विपक्षीगण जारी करने तथा निगरानीधीन आदेश से सम्बन्धित पत्रावली तलब करने के आदेश दिये गये। उपायुक्त नगर निगम जोन सांगानेर की ओर से अधिवक्ता श्री राजेश कुमार गुर्जर उपस्थित आये। गैर निगरानीकार संख्या 1 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे। ग्राम पंचायत द्वारा जारी मूल पट्टा पत्रावली अप्राप्त है। पत्रावली पर साथ बहस उपस्थित अभिभाषकगण सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक राजस्थान आवासन मण्डल जयपुर ने अपनी लिखित बहस में अंकित तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि ग्राम पंचायत श्रीराम की नांगल द्वारा गैर निगरानीकार के हक में जारी पट्टा विधि विरूद्व होने से अपास्त किये जाने योग्य है। राज्य सरकार की नगरीय व आवासन विभाग राजस्थान जयपुर की ओर से राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा ग्राम दहलावास, ग्राम नगरीयवाला, श्योपुर, चक गेटोर, बम्बाला की भूमि अवाप्ति की जाकर जरिये अवार्ड क.ओ./एस.डी./नविआ/9/2004 दिनांक 05.05.1994 को न्यायालय विशेषाधिकारी नगरीय विकास एवं आवासन विभाग राजस्थान जयपुर हाल कार्यालय राजस्थान आवासन मण्डल जयपुर द्वारा पारित किया गया। जिसमें ग्राम दहलावास तहसील सांगानेर स्थित भूमि को अवाप्त किया जाकर भूमि अर्जन अधिनियम की धारा 16 के तहत पूर्ण स्वत्वों सहित सभी भारो से उन्मुक्त किया जाकर जरिये कब्जा फर्द के अलग–अलग दिनांको को खातेदारी की उपस्थिति में अवाप्तशुदा भूमि का कब्जा प्राप्त

19/7/24
अतिरिक्त कलक्टर (प्रथम) जयपुर

किया। गैर निगरानीकार संख्या 1 द्वारा केवल मात्र कूटरचित दस्तावेज के आधार पर निगरानीकर्ता की खातेदारी की भूमि पर जो निगरानीधीन पट्टा प्राप्त किया गया है वे सभी पट्टे सरसरी तौर पर खारिज किये जाने योग्य है। अतिक्रमियो द्वारा राजस्थान आवासन मण्डल के कब्जे व रिकॉर्डेड खातेदारी की भूमि पर अवैध रूप से कब्जा करने के उद्देश्य से फर्जी पट्टो का निर्माण किया है। गैर निगरानीकार संख्या 1 की ओर से न्यायालय सिविल न्यायाधीश कम संख्या 17 जयपुर महानगर विचाराधीन वाद बाबत स्थाई, निषेधाज्ञा, प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रस्तुत किया गया है जिसमें गैर निगरानीकार द्वारा निगरानीधीन पट्टा पेश किया गया है जिसके कारण निगरानीकार को निगरानीधीन पट्टे की जानकारी हुयी। अवाप्ति की कार्यवाही के पश्चात वर्तमान में राजस्थान आवासन मण्डल राजस्व रिकॉर्ड में ग्राम दहलवास स्थित भूमि के रिकॉडेड खातेदार है एवं उक्त भूमि पर आवासन मण्डल काबिज है। अवाप्तशुदा भूमि पर राजस्थान आवासन मण्डल की प्रताप नगर आवासीय योजना हेतु अवाप्त कर योजना को मूर्त रूप दिया जा चुका है। राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा जरिये कब्जा फर्द के भूमि प्राप्त की गयी है। ग्राम पंचायत को कृषि भूमि जो वर्तमान में राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा अवाप्त की जा चुकी है में पट्टा दिये जाने का कोई अधिकार नहीं है। अतः राज. आवासन मण्डल द्वारा प्रस्तुत निगरानी स्वीकार की जाकर ग्राम पंचायत श्रीराम की नांगल द्वारा आदेश दिनांक 21.09.1987 द्वारा गैर निगरानीकार संख्या 1 के हक में जारी पट्टा संख्या 41 निरस्त फरमाया जावे।

विद्वान अभिभाषक नगर निगम ने अधिवक्ता निगरानीकर्ता कथनो पर सहमति व्यक्त करते हुए कथन किया कि नगर निगम कार्यालय में गैर निगरानीकार के हक में ग्राम पंचायत श्रीराम की नांगल द्वारा जारी पट्टे से संबंधित कोई रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है। निगरानीकर्ता द्वारा प्रस्तुत निगरानी में न्यायोचित आदेश फरमाया जावे।

विद्वान उभय पक्ष अभिभाषक की बहस सुनी गई। पत्रावली का तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात आदि का आद्योपान्त अवलोकन किया तथा सम्बन्धित कानून के परिपेक्ष्य में गम्भीरता पूर्वक मनन किया गया। उपायुक्त जगतपुरा जोन नगर निगम ग्रेटर जयपुर से प्राप्त जवाब अनुसार ग्राम पंचायत श्रीराम की नांगल, पं.स. सांगानेर द्वारा जारी निगरानीधीन पट्टा पत्रावली नगर निगम कार्यालय जोन जगतपुरा में अनुपलब्ध होने के कारण पट्टा पत्रावली अप्राप्त है। ऐसी स्थिति में निगरानी का निस्तारण गुणावगुण के आधार पर किया जाना न्यायोचित है। निगरानीकर्ता द्वारा निगरानी मीमो में अंकित तथ्यो अनुसार ग्राम पंचायत श्रीराम की नांगल द्वारा निगरानीकर्ता की अवाप्तशुदा खातेदारी कृषि भूमि में से गैर निगरानीकार संख्या 1 को निगरानीधीन पट्टा जारी किया गया एवं साथ ही निगरानीकार द्वारा निगरानीधीन पट्टा कूटरचित दस्तावेज होने का कथन किया है। अधिवक्ता राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात के अवलोकन से स्पष्ट है कि राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा ग्राम दहलवावास तहसील सांगानेर स्थित कृषि भूमियां

न्यायालय अतिरिक्त कलक्टर (प्रथम) सत्यमेव जयते जयपुर

19/7/24
अतिरिक्त कलक्टर (प्रथम)
जयपुर

अवाप्त की जा चुकी है एवं राजस्थान आवासन मण्डल अवाप्तशुदा भूमि के रिकॉर्डेड खातेदार है तथा वर्तमान में राज. आवासन मण्डल द्वारा अवाप्तशुदा भूमि पर प्रताप नगर आवासीय योजना विकसित किया जाना जाहिर होता है। प्रकरण में ग्राम पंचायत श्रीराम की नांगल द्वारा आदेश दिनांक 21.09.1987 से क्षेत्रफल 1350 वर्गफीट का पट्टा संख्या 41 गैर निगरानीकार संख्या 1 के हक में जारी किया गया है। ग्राम पंचायत को बिना सक्षम स्तर से अनुमोदन के 1350 वर्गफीट क्षेत्रफल का पट्टा दिये जाने का अधिकार नहीं है इससे स्पष्ट होता है कि ग्राम पंचायत द्वारा क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर निगरानीधीन पट्टा जारी किया है। पत्रावली पर उपलब्ध निगरानीधीन पट्टे की छायाप्रति के अवलोकन से जाहिर है कि निगरानीधीन पट्टे पर नक्शा नवीस व सचिव के हस्ताक्षर नहीं है जबकि पंचायती राज अधिनियम की धारा 167(2) अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा जारी पट्टे पर सरपंच एवं सचिव के संयुक्त हस्ताक्षर होने चाहिए। ग्राम पंचायत द्वारा दिनांक 21.09.1987 को निगरानीधीन पट्टा जारी किया गया एवं निगरानीधीन भूमि तत्समय कृषि भूमि होना प्रतीत होता है इसलिए ग्राम पंचायत को कृषि भूमि में पट्टा दिये जाने का अधिकार नहीं है। ग्राम पंचायत श्रीराम की नांगल का नगर निगम ग्रेटर जोन जगतपुरा में मर्ज (विलय) हो जाने से ग्राम पंचायत का समस्त रिकॉर्ड नगर निगम ग्रेटर जोन जगतपुरा में जमा हो गया। नगर निगम जोन ग्रेटर में निगरानीधीन पट्टे का रिकॉर्ड अनुपलब्ध है जिससे निगरानीधीन पट्टे की वैधानिकता संदिग्ध प्रतीत होती है। ग्राम पंचायत श्रीराम की नांगल द्वारा गैर निगरानीकार संख्या 1 के पक्ष में पट्टा जारी किये जाने से पूर्व पंचायत राज अधिनियम में निहित नियमों की पालन किया जाना जाहिर नहीं होता है।

फलस्वरूप निगरानीकर्ता राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा प्रस्तुत निगरानी स्वीकार की जाती है तथा ग्राम पंचायत श्रीराम की नांगल पंचायत समिति सांगानेर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 21.09.1987 द्वारा तीजा पत्नी आनन्दा मीना, निवासी ग्राम दहलावास, तहसील सांगानेर के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 41 निरस्त किया जाता है। निर्णय की प्रमाणित प्रति उपायुक्त जोन जगतपुरा, नगर निगम ग्रेटर जगतपुरा को पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 19.07.2024 को सरे इजलास सुनाया गया।

19/7/24

(सुरेश कुमार नवल)
अति.कलक्टर–प्रथम,
जयपुर

न्यायालय अतिरिक्त कलक्टर (प्रथम) सत्यमेव जयते जयपुर